# न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0 / 26 / 2021

उमरदीन पुत्र मग्धू जाति मेव निवासी सावलेर तहसील पहाडी जिला भरतपुर
.......प्रार्थी0

बनाम

1– मौहम्मदा पुत्र खुशी खां जाति मेव निवासी सावलेर तहसील पहाडी जिला भरतपुर।
.....असल अप्रार्थी

2– ईशाक पुत्र मग्धू जाति मेव निवासी सावलेर तहसील पहाडी जिला भरतपुर
.......तरतवी अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली विरूद्व उपखण्ड अधिकारी पहाडी श्री संजय गोयल व मुकदमा मौहम्मदा बनाम उमरदीन नं. 31 / 19 अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

-----------

उपस्थित :–
1–श्री पंकज कुमार अभिभाष प्रार्थी,
2–श्री सोनीराम शर्मा अभिाषक अप्रार्थी,

निर्णय दिनांक 24.5.2022

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थी इस आश्य का पेश किया गया है जो संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी पहाडी से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। उपखण्ड अधिकारी पहाडी विचाराधीन दावें में व्यक्तिगत रूचि लेकर नजदीक तारीख पेशी नियत कर रहे हैं। उपखण्ड अधिकारी को आपत्ति की थी तो उन्होने कहां कि उन पर दबाब है, इस कारण वो इस दावे का शीघ्र फैसला करेगें। असल अप्रार्थी ने दिनांक 21.04.2021 को प्रार्थी को धमकी दी है कि उपखण्ड अधिकारी से बातचीत हो चुकी है दावे का फैसला उनके पक्ष में होगा। प्रार्थी को यकीन है कि उपखण्ड अधिकारी से न्याय नहीं मिलेगा। प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाकर प्रकरण किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई। एस.डी.ओ. पहाडी से टिप्पणी तलब की गई। एस.डी.ओ. पहाडी से प्राप्त टिप्पणी शामिल मिसिल की गई। अप्रार्थी एक की ओर से जबाब पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

मुन्त. प्रा0 / 26 / 2021
**उमरदीन बनाम मौहम्मदा**

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दौहराते हुये जाहिर किया कि न्यायालय एसडीओ पहाडी में प्रकरण विचाराधीन है। उपखण्ड अधिकारी पहाडी विचाराधीन दावें में व्यक्तिगत रूचि लेकर नजदीक तारीख पेशी नियत कर रहे हैं। अप्रार्थी ने प्रार्थी को धमकी दी कि एसडीओ साहब से बातचीत हो गई है, विचाराधीन प्रकरण हमारे पक्ष मे फैसल होगा। प्रार्थी को एस.डी.ओ. पहाडी से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्को में जाहिर किया कि प्रार्थी ने गलत आरोप लगाये हैं। प्रकरण दावा एस.डी.ओ. पहाडी के न्यायालय में साक्ष्य में विचाराधीन है। प्रार्थी प्रकरण को शीघ्र निस्तारण नहीं होने देने के लिये यह मुन्तकिली प्रार्थना गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। एस.डी.ओ. पहाडी से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी पहाडी से प्राप्त टिप्पणी के अवलोकन से जाहिर है कि एस.डी.ओ. के न्यायालय में विचाराधीन दावा साक्ष्य प्रतिवादी में लगा हुआ है। प्रार्थी द्वारा असत्य एवं मनगढत आरोप लगाने का उल्लेख टिप्पणी में किया गया है। इससे यह निर्विवाद है कि प्रार्थी विचाराधीन दावे को शीघ्र निस्तारण नहीं होने देने की नीयत से यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। अस्तु प्रार्थना पत्र मुन्तकिली काबिल खारिज के रहता है।

**अतः आदेश है कि :–**

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी पहाडी को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.5.2022 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

**(आलोक रंजन)**
**जिला कलक्टर, भरतपुर**